

## महात्मा गांधी की 'स्वराज' की अवधारणा

डॉ.रीता तिवारी

पी-एचडी., यू.सेट

पी.एस.एरी, न्यू इन्दिरा कालोनी खत्याड़ी

अल्मोड़ा, हिमाचल प्रदेश, भारत

### शोध संक्षेप

सहस्राब्दी पुरुष से विभूषित महात्मा गांधी ने मानव मात्र की स्वतंत्रता पर विचार किया है। उनके स्वराज की अवधारणा दूसरों से बिलकुल भिन्न है। उन्होंने जीवन जीने के जो सिद्धांत धारण किये, उन्हें आचरण में भी उतारा। गांधी जी की विचारधारा देश के प्रति हमेशा सकारात्मक रही। उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि प्रदान की गयी। गांधी जी ने 'हिंद स्वराज' में मूल रूप से स्वराज की विचारधारा को प्रतिपादित किया। उनकी स्वराज की विचारधारा स्वराज की पश्चिमी विचार धारा से सर्वथा भिन्न थी। स्वराज का तात्पर्य जनता के शासन से है या राजनीतिक स्वतंत्रता से है, परंतु उसकी विचारधारा इससे कहीं अधिक विस्तृत है। प्रस्तुत शोध पत्र में महात्मा गांधी की स्वराज की अवधारणा पर विचार किया गया है।

### स्वराज का तात्पर्य

स्वराज का तात्पर्य 'आत्म शासन तथा आत्म-संयम' से है। स्वराज में मुख्य चार स्तम्भ हैं। अस्पृश्यता का निवारण, खद्वर का निर्माण हिंदू-मुस्लिम एकता तथा अहिंसा का प्रतिपादन।

अब हम स्वराज के सामान्य रूप से उल्लेखनीय विस्तार की ओर चलते हैं। एक आदर्श के रूप में वह एक वर्गविहीन तथा राज्य विहीन समाज की समस्या करना चाहता है। यह राज्य स्वचालित ज्ञान सम्पन्न अराजकता का राज्य है। यहां पर अराजकतावादी प्रतीत होता है। स्वतंत्रता का मूल्य, समानता तथा अहिंसा का मूल्य, राज्य प्रेम शक्ति पर आधारित होगा तथा वहां पर शक्ति का दुरुपयोग नहीं होगा। राज्य स्वयं में ही कोई अन्त या लक्ष्य नहीं है, बल्कि सर्वोदय प्राप्त करने का एक साधन मात्र है।

गांधी जी ने किसी नवीन विचारधारा का जीवन दर्शन या तत्वदर्शन का प्रतिपादन नहीं किया।

गांधीवाद वस्तुतः भारत की उस भाषा परक आध्यात्मिक जीवन दृष्टि तथा सांस्कृतिक परम्परा का आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्द्धित एवं संशोधित संस्करण है, जो शताब्दियों से सत्य, अहिंसा सेवा प्रेम त्याग, सहिष्णुता, अस्तेय, अपरिग्रह, आत्मसंयम आदि नैतिक मूल्यों को भौतिक जीवन मानों की अपेक्षा अधिक काव्य और वरेण्य मानती है।

महात्मा गाँधी स्वयं स्वीकार करते हैं कि सत्याग्रह का सिद्धांत अपने मूल रूप में अत्यंत प्राचीन है। गांधी मानव सभ्यता के आधार पर वह यह इतिहास आज भी सत्य, अहिंसा पर जोर देते हैं। नैतिक नियमों के आधार पर विविध सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रवृत्ति समस्याओं का इतना व्यापक स्तर पर व्याख्यान विश्लेषण करते हैं।

गांधीवाद का चिंतन पक्ष : मूल सिद्धान्त:-

1. सत्य - सत्य गांधीवादी विचारधारा की आधार शिला है, जिसे गोपीनाथ धावन 'गांधी जी के जीवन और दर्शन का ध्रुवतारा कहते हैं। गांधी जी का सत्य 'केवल सत्यमात्र का भाषण नहीं अपितु एक जीवन व्यापी सिद्धान्त है जिसका अर्थ है – "वाणी ही नहीं विचार और आचरण द्वारा भी सत्य की साधना। पर गांधी के 'सत्य-दर्शन' की सीमाएं सत्य भाषण सत्य-आचरण तथा सत्य विचार तक ही सीमित नहीं हैं। 'सत्य' उनका अंतिम साध्य भी है।

गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि केवल सत्य की ही विजय हो सकती है। असत्य की नहीं।

असत्य के मार्ग पर चलते हुए सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि 'सत्य' का अर्थ है 'अस्तित्व' अर्थात् जो है और असत्य का अर्थ है अनस्तित्व अर्थात् जो नहीं है।

2. अहिंसा - गांधी जी की अहिंसा को प्रायः हिंसा का अभाव मात्र मान लिया जाता है। पर वास्तव में वह एक भावात्मक प्रक्रिया और शक्ति है, जो हमें प्राणी मात्र से प्रेम करने के लिए प्रेरित करती है। गांधी-दर्शन में अहिंसा प्रेम वस्तुतः एक ही अर्थ के घटक हैं। गांधी की अहिंसा का साधक अपने से हर प्राणियों को किसी प्रकार का कष्ट या हानि न पहुंचाना ही काफी नहीं समझता और न वह चींटियों को आटा डालकर ही संतुष्ट हो जाता है।

गांधी जी की अहिंसा को कायरता के साथ समीकृत नहीं किया जाना चाहिए। कायरता और अहिंसा में उतना ही अंतर है जितना दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव में अथवा आग और पानी में। महात्मा गांधी का विश्वास था कि हिंसक मनुष्य तो फिर भी किसी दिन अहिंसक बन सकता है, पर कायर कभी नहीं। वे मानते थे कि अहिंसा वीरों का धर्म है कायरों का नहीं। सन् 1920 में

उन्होंने यह घोषित कर दिया था कि कायरता और हिंसा में से एक को चुनना हो तब उन्होंने हिंसा को स्वीकार किया था।

3. सत्याग्रह - साध्य (सत्य) और साधन (अहिंसा) पर विचार करने के उपरांत गांधीवाद का अगला चरण स्वभावतः उसके कर्म पद (सत्याग्रह) है। सत्य पर आग्रह पूर्वक आचरण तथा अधर्म का सत्यादि साधनों द्वारा आग्रहपूर्वक विरोध ही सत्याग्रह है। प्रेम और अहिंसा पर आधृत होने के कारण 'सत्याग्रह' में अविनय के लिए कोई स्थान नहीं है क्योंकि अविनय के साथ हिंसा का प्रवेश निश्चित है। सत्याग्रही का आग्रह अर्थात् उसके द्वारा अत्याचारी का विरोध उसकी सत्यनिष्ठा को प्रेरित होता है। किसी व्यक्तिगत द्वेष भावना से नहीं।

सत्याग्रह में साध्य के साथ साधनों की नैतिकता भी आवश्यक है। सच तो यह है कि साधन और साध्य की एकता ही गांधी के जीवन-दर्शन की धुरी है। गांधी जी कहा करते थे कि साधन और साध्य में वही घनिष्ठ संबंध है।

गांधी जीवन का व्यावहारिक पक्ष

गांधीवाद केवल सैद्धान्तिक दर्शन ही नहीं है। वह सत्य, अहिंसावादी सैद्धान्तिक प्रश्नों पर ही विचार नहीं करता, हमारे दैनंदिन जीवन की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभृति विषम समस्याओं का हल भी सुझाता है। एक सम्पूर्ण जीवन दर्शन होने के कारण उसमें जीवन के सभी पक्षों का समाधान है। गांधी जी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सभी मान्यताएं स्वदेशी के सिद्धान्त से अनुप्राणित है।

गांधी जी के मतानुसार जैसे - तैसे सूत फातने या खादी पहनने-पहनाने मात्र से ही स्वदेशी धर्म का पूर्ण पालन नहीं हो जाता। स्वदेशी का अर्थ होता है निकटतम पड़ोसी की सेवा करना। स्वधर्म के



पालन से परधर्मी को या परधर्म को कभी हानि पहुँच ही नहीं सकती, न पहुँचनी चाहिए। स्वदेश का हुए बिना कोई भी व्यक्ति विश्व का नहीं हो सकता। गांधी जी का स्वदेश प्रेम का ही एक अंग है उनकी देश सेवा तथा विश्व सेवा में मूलतः कोई प्रतिद्वन्द्विता नहीं है।

गांधी जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजनैतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति न हो। उनके विचार में, स्वराज का तात्पर्य सुविधा पूर्वक भोजन तथा कपड़े की उपलब्धि होनी चाहिए ताकि कोई उनके अभाव में भूखा तथा नंगा न रह सके। वह समानता के आधारभूत मूल्यों में विश्वास करते थे। इस प्रकार, सामाजिकता से उत्पन्न धन को समान रूप से विभाजित करना चाहिए, ताकि प्रत्येक को समान रूप से कपड़ा तथा भोजन प्राप्त हो सके तथा प्रत्येक को पर्याप्त रोजगार प्राप्त हो सके। 'स्वराज' का केन्द्र बिंदु स्वदेशी है। जिसका तात्पर्य आत्म-सक्षमता से है। राष्ट्र के लोगों का यही उद्देश्य होना चाहिए।

यह स्वदेशी विचारधारा का ही प्रभाव था जिसने गांधी जी के विचारों में परिवर्तन ला दिया। 1916 के वर्ष में हम उनको पूर्ण 'आत्म-सक्षमता' की वकालत या समर्थन करते पाते हैं। स्वदेशी के नाम पर 1916 में मिशनरी कांफ्रेंस के समक्ष उन्होंने एक सम्भाषण प्रस्तुत किया, जहाँ पर वे आत्म-सक्षमता प्राप्त करने की दृष्टि से पृथक्करण का समर्थन करते नजर आते हैं। 1908 में अपने द्वारा लिखित पुस्तक "हिंद स्वराज" में गांधी ने मूल रूप से स्वराज की विचारधारा को प्रतिपादित किया।

गांधी जी ने वर्तमान समान व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। उनका अद्वारह सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम

इस तथ्य का स्पष्ट सूचक है कि वे समाज व्यवस्था में पूर्ण सुधार तथा उसका पुनः निर्माण करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, हालांकि उनकी इस उत्सुकता की अपनी सीमाएं थीं।

गाँधी जी अद्वारह रचनात्मक कार्यक्रम को सत्याग्रह की लड़ाई का एक आवश्यक अंग मानते हैं। सत्याग्रही के लिए रचनात्मक कार्यक्रम का उतना ही महत्व है जितना एक सैनिक के लिए कवायद तथा अस्त्र-शस्त्र सीखने का।

गाँधी जी का अद्वारह सूत्री कार्यक्रम - 1. सांप्रदायिक एकता 2. अस्पृश्यता निवारण 3. मद्यपान निषेध 4. खादी 5. दूसरे ग्रामोद्योग 6. गांवों की सफाई 7. नई या बुनियादी तालिम 8. प्रौढ़ शिक्षा 9. स्त्रियों की उन्नति 10. स्वास्थ्य और सफाई की शिक्षा 11. मातृभाषा प्रेम 12. राष्ट्रभाषा प्रेम 13. आर्थिक समानता 14. 15, 16 किसानों मजदूरों और विद्यार्थियों का संगठन 17. आदिवासियों की सेवा 18. कोठियों की सेवा।

गांधी के आर्थिक दृष्टिकोण का निर्माण खादी तथा दूसरे ग्रामोद्योगों के विकास एवं आर्थिक समानता के सिद्धांतों से हुआ है।

गांधी जी भारत की दरिद्रता और बेकारी का उन्मूलन खादी तथा दूसरे ग्रामोद्योगों के पुनरुद्धार द्वारा करना चाहते थे। वे बड़ी-बड़ी मशीनों की सहायता से बड़े पैमाने पर उत्पादन के विरोधी थे।

“गांधी जी जीवन दर्शन कहता है कि वह मशीनों, सामूहिक उत्पादन और औद्योगिकरण का विरोध केवल इसलिए करता है, क्योंकि इनसे बेरोजगारी फैलती है। शोषण के अवसर बढ़ते हैं। मजदूरों का चारित्रिक स्तर गिरता है और इस प्रकार कुल मिलाकर अहिंसक मूल्यों का बलिदान होता है।”<sup>1</sup> भारत के राष्ट्रीय जीवन की एकता के लिए गांधीजी साम्प्रदायिक सौहार्द को व्यावहारिक

मानते थे। अठारह सूत्री कार्यक्रम में धार्मिक सहिष्णुता सर्वप्रथम माना है। "अहिंसा हमें दूसरे धर्मों के प्रति समभाव सीखाती है।"2

अस्पृश्यता-निवारण का भी गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अस्पृश्यता निवारण को वे अहिंसा के साथ अविच्छेद रूप से संबद्ध मानते थे। अपने भावनात्मक रूप में अहिंसा का अर्थ हो प्राणी मात्र के प्रति प्रेम। स्वभावतः अहिंसा का साधम जाति, धर्म, वर्ण, रंग आदि बाह्य आधारों पर मनुष्य-मनुष्य में कोई भेद नहीं करता।

गांधी जी मानते थे कि "अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अंग नहीं है, बल्कि उसमें घुसी हुई सड़न है। पाप है और उसको दूर करना हर एक हिंदू का धर्म है। उसका परम कर्तव्य है।"3

"इस युग में या तो हिंदू धर्म ही जीवित रह सकता है। या अछूत प्रथा, दोनों एक साथ नहीं।"4

"गांधी जी के अनुसार प्राचीनता के नाम अछूत प्रथा का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि जो चीज बुरी है वह बुरी ही रहेगी चाहे प्राचीन हो या नवीन।"5 वे कहते हैं कि "हमको यह विश्वास कर अपने को धोखा नहीं देना चाहिए कि संस्कृत में जो कुछ भी लिखा और छपा है वही शास्त्र है तथा उसका पालन करने के लिए हम बाध्य हैं। जो कुछ नैतिकता के मौलिक सिद्धान्तों के विरुद्ध हो सकता है, जो तर्कशील बुद्धि के विपरीत है, उसे शास्त्र नहीं कहा जा सकता, चाहे वह कितनी ही पुरानी बात क्यों न हो।"6

अछूत प्रथा को समाप्त करने के लिए गांधी जी केवल इस निष्क्रिय विश्वास को ही पर्याप्त नहीं समझते हैं कि "यह प्रथा बुरी है। प्रत्युत वे उसके

विरुद्ध हर प्रकार का जायज तथा वैध आंदोलन चलाने की भी सलाह देते थे।"7

"परंतु इसके साथ ही वे अछूतों को यह 'नेक सलाह' देना भी नहीं भूलते थे कि जब तक सनातनी हिंदुओं का मत-परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक उन्हें अपनी वर्तमान दशा को धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए।"8

"इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अछूत प्रथा के इतने तीव्र विरोधी होते हुए भी महात्मा गांधी वर्णाश्रम को ज्यों का त्यों कायम रखे जाने के पक्षपाती थे। सन् 1924 में बेलगांव में उन्होंने घोषित किया था कि वे 'जन्मना' तथा 'कर्मणा' दोनों ही रूपों से वर्णाश्रम में विश्वास रखते हैं।"9 गांधी जी वर्तमान असंख्य जातिभेद को मिटाकर केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के चतुष्टय विभाजन तक ही वर्ण किसी भी रूप में एक-दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं है। यद्यपि उनका यह वर्ण विभाजन किसी वर्ण-विशेष का कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं करता।

महात्मा गांधी मादक वस्तुओं का निषेध चाहते थे वह अनैतिकता, अनुशासनहीनता, असंयम, चारित्रिक पतन तथा दूसरी बुराइयों की ओर ले जाने वाला मानते थे। वे कहते हैं - "में शराबखोरी को चोरी और शायद व्याभिचार से भी अधिक निंदनीय समझता हूँ। क्या यह अकसर दोनों की जननी नहीं होती।"10 सन 1931 में उन्होंने 'यंग इंडिया' में लिखा था कि "अगर मुझे एक घंटे के लिए सारे भारत का तानाशाह बना दिया जाए तो पहला काम मैं यह करूँगा कि तमाम शराब खानों को मुआवजा दिये बिना ही बंद करा दूँगा।"11

पारस्परिक रूप से वर्ण व्यवस्था पर स्थिर रहने के बावजूद, गांधी समाज में समानता के पोषक हैं। गांधी जी ने अपना सारा जीवन अस्पृश्यता



निवारण में ही बिना दिया। उनके विचार में स्वराज समाज की बुराइयों को दूर किये बिना सम्भव नहीं है। वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई सकता पर भी अधिक बल देते है। वास्तविक स्वराज समस्त वर्गों की एकता में ही निहित है। प्रत्येक समुदाय को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। मुस्लिमों को गो-हत्या नहीं करनी चाहिये क्योंकि इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है। गाँधी ने समाज में स्त्रियों की दशा सुधारने का प्रयास किया। बाल-विवाह जैसी कुप्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई।

गांधीवादी सामाजिक स्वराज के यह मुख्य पहलु है, जो अंतरजातीय एवं अन्तःधार्मिक विवाह के अलावा कोई परिवर्तन नहीं ला सके। 1921 से पूर्व वह इस प्रकार के विवाह को मान्यता नहीं देते थे। गांधी जी स्त्रियों की बहुत सम्मान करते थे। गांधी जी नारीत्व का सम्मान अपना परमधर्म समझते थे। छुआ-छूत (अस्पृश्यता) तथा नारी के वह मातृत्व भाव रखते थे। वह नारी को पुरुष की भाग्य विधाता मानते थे। गांधी जी ने स्त्रियों को समान अधिकार दिलवाये। जितना पुरुष अधिकारी है उतनी ही नारी भी सब प्रकार से अधिकारी है। अतः गांधी जी ने राजनीति और अस्पृश्यता एवं नारी सम्मान और मजदूरों आदि सभी के प्रति अपनी सकारात्मक आस्था व्यक्त की। प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक आचरण अपनाना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक के माता-पिता, बच्चों तथा पत्नी के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। इस प्रकार के व्यक्ति, सबसे अलग व्यक्तिगत स्वराज का आनंद ले सकेंगे।

संदर्भ ग्रन्थ

1. गांधी; सर्वोदय तत्व दर्शन ; पृ.117-118
2. गांधी साहित्य; भाग 5; पृ.157

3. गांधी- विचार दोहन; पृ.43-44

4. बापू के हरिजन; पृ.42

5. वही, पृ.11

6. वही, पृ.27

7. वही, पृ.28

8. वही, पृ.7

9. वही, पृ.1

10. महात्मा गांधी, शराब बंदी करें, पृ.5-

11. वही, पृ.5